



Neutral Citation No.— 2026:AHC:11511

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या 102 वर्ष 2026

रामगोपाल यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: बिनोद कुमार, मणि शंकर

प्रतिवादी के वकील

: सीएससी

कोर्ट नंबर - 6

माननीय प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ को यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में दिनांक 07.11.2025 को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाए, जो कि मामला संख्या 12356/2025 है।

2. आगे यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष 04.12.2025 को एक आवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनी और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना, वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 04.12.2025 के आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय ले, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

5. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 04.12.2025 के अभ्यावेदन की प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे।

प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.